



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2005/आश्विन 14, 1927

No. 1077]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2005/ASVINA 14, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2005

का.आ. 1468(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iv) के अनुसरण में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित जीवाणुविहीन युक्तियों को मानवों के बाह्य और आंतरिक प्रयोग के लिए तुरन्त प्रभाव से औषधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

- (i) हृदयीय स्टेंट
- (ii) औषधि क्षालित स्टेंट
- (iii) नाल शलाका
- (iv) अंतः रक्षित लेंस
- (v) अन्तः शिरा प्रवेशिनी
- (vi) अस्थि सीमेंट
- (vii) हृदय कमटिका
- (viii) शिरोबल्क शिरा सेट
- (ix) अस्थि संबंधी रोप
- (x) अन्तर कृत्रिमांग प्रतिस्थापन।

[फा. सं. 11014/2/2005-डीएमएस एंड पीएफए]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2005

S.O. 1468(E).—In pursuance of the sub-clause (iv) of clause (b) of Section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following sterile devices intended for external or internal use in human beings as drugs with immediate effect, namely :—

- (i) Cardiac Stents
- (ii) Drug Eluting Stents
- (iii) Catheters
- (iv) Intra Ocular Lenses
- (v) I. V. Cannulae
- (vi) Bone Cements
- (vii) Heart Valves
- (viii) Scalp Vein Set
- (ix) Orthopaedic Implants
- (x) Internal Prosthetic Replacements.

[F. No. 11014/2/2005-DMS & PFA]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.